

THINK IAS

JOIN SAMYAK

Samyak
An Institute For Civil Services

DAILY
CURRENT नाना

3 अगस्त

9875170111

SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

सर्वोच्च न्यायालय ने एससी, एसटी में उप-वर्गीकरण की अनुमति दी

सुर्खियों में क्यों ?

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को ऐतिहासिक फैसले में आरक्षण में अनुसूचित जातियों (SC) के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी। यह फैसला पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह एवं अन्य के मामले में सुनाया गया।

उप-वर्गीकरण पर पहले क्या रुख रहा?

- ईवी चिन्नैया मामले (2005) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि अनुसूचित जातियां एक समस्त समूह हैं, जिससे आरक्षण लाभ के लिए उनके बीच किसी भी प्रकार का उप-विभाजन निषिद्ध है।

जानने योग्य

अनुच्छेद 341 (1) के तहत, भारत के राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ समूहों को अनुसूचित जाति के रूप में नामित कर सकते हैं।

- पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2006 - इसमें यह अनिवार्य किया गया कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 50% रिक्तियां, उनकी उपलब्धता के आधार पर, बाल्मीकि और मजहबी सिखों को प्रदान की जाएगी।
- पंजाब उच्च न्यायालय का निर्णय (2010) - ई.वी. चिन्नैया फैसले के आधार पर पंजाब अधिनियम के प्रावधान को रद्द कर दिया गया। अनुच्छेद 341 - के तहत केवल राष्ट्रपति ही अनुसूचित जातियों को वर्गीकृत कर सकते हैं।

इंद्रा साहनी केस (1992)

न्यायालय ने 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि आर्थिक रूप से समृद्ध OBC को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए था कि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों तक पहुंचे।

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सामान्यतः आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा न्याय और समानता के सिद्धांत के तहत लागू की गई।


न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह पिछड़े वर्गों की पहचान कर उन्हें आरक्षण प्रदान करे, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है और इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।

फैसले का अवलोकन

राज्य किसी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है, परंतु उप-वर्गीकरण की अनुमति दी। राज्य की उप-वर्गीकरण करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

सरकारों को उप-वर्गीकरण से पहले एक अनुभवजन्य अध्ययन करना चाहिए।


उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत और अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की पहचान करने के लिए राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।



आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024

सुर्खियों में क्यों ?

- गृह राज्य मंत्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के लिए लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया



आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं



3-स्तरीय संस्थागत संरचना

आपातकालीन राहत के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का सृजन।

जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी परियोजनाओं के लिए आपदा न्यूनीकरण निधि की स्थापना

एनडीएमए द्वारा राष्ट्रीय योजना का विकास। राज्यों और जिलों को अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएँ स्वयं तैयार करनी होंगी।

आपदा प्रबंधन में स्थानीय निकायों की भूमिका पर जोर दिया गया

अल्जाइमर और पार्किंसंस के उपचार में ऑस्मोलाइट-प्रोटीन इंटरैक्शन

सुर्खियों में क्यों ?

- एक शोध के अनुसार **ऑस्मोलाइट्स** नामक छोटे अणु तनावपूर्ण परिस्थितियों में प्रोटीन की संरचना और कार्य को बनाए रखने में सहायता करते जिससे यह अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों के उपचार के विकास में सहायक हो सकता है।

प्रयुक्त तकनीक

- प्रयुक्त तकनीक को **सहसंयोजक चुंबकीय चिमटी (मैग्नेटिक फोरसेप)** कहा गया, जिससे विभिन्न स्थितियों में अलग-अलग प्रोटीन अणुओं के बंधने और खुलने तथा ऑस्मोलाइट्स के साथ उनकी परस्पर संक्रिया का निरीक्षण करने में मदद मिली।
- टीम ने अपना शोध प्रोटीन एल नामक प्रोटीन पर केंद्रित किया तथा दो विशिष्ट ऑस्मोलाइट्स: **ट्राइमेथिलैमाइन एन-ऑक्साइड (टीएमएओ)** और **ट्रेहलोज** के साथ इसकी अंतर्क्रिया की जांच की।
- शोध में **प्रोटीन एल** नामक प्रोटीन पर ध्यान केंद्रित किया गया और दो ऑस्मोलाइट्स - **ट्राइमेथिलैमाइन एन-ऑक्साइड (टीएमएओ)** और **ट्रेहलोज** के साथ इसकी संक्रिया (इंटरैक्शन) का परीक्षण किया गया।

ऑस्मोलाइट्स

ऑस्मोलाइट्स वे छोटे अणु होते हैं जो प्रोटीन को स्थिर करके और उन्हें गलत तरीके से बंधने (मिसफोल्डिंग) को रोककर कोशिकाओं को तनाव से बचने में मदद करते हैं। गलत तरीके से बंधे हुए (मिसफोल्डेड) प्रोटीन अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते, जिससे व्याधियां उत्पन्न होती हैं।

ट्राइमेथिलैमाइन एन-ऑक्साइड (टीएमएओ)

टीएमएओ का उच्च स्तर हृदय रोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह जानने से कि यह प्रोटीन के साथ कैसे संपर्क करता है, आगे बेहतर उपचार हो सकता है।

अल्जाइमर रोग

यह एक प्रगतिशील **न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार** है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप स्मृति हानि, संज्ञानात्मक गिरावट, व्यवहार में परिवर्तन, बोलने या लिखने में समस्या, मनोदशा और व्यक्तित्व में परिवर्तन, समय या स्थान के साथ भ्रम आदि होता है।

वर्तमान में अल्जाइमर के कारणों का पूरी तरह से पता नहीं है, फिर भी कुछ कारक इसमें योगदान दे सकते हैं - आयु (>65 वर्ष), आनुवंशिकी, मस्तिष्क कोशिकाओं में और उसके आसपास एमिलॉयड प्रोटीन का असामान्य निर्माण, मोटापा, धूम्रपान और गतिहीन जीवन शैली

वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई इलाज नहीं है। लेकिन दवा और सहायक उपचार उपलब्ध हैं

पार्किंसंस रोग

यह एक **प्रगतिशील न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार** है जो गतिशीलता को बाधित करता है तथा समय के साथ गतिहीनता और मनोभ्रंश का कारण बन सकता है। यह बीमारी आमतौर पर वृद्ध लोगों को होती है, लेकिन युवा लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।

पार्किंसंस रोग का कारण अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों का संयोजन शामिल है। यह मुख्य रूप से इसमें मस्तिष्क में डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स की कमी होती है।

इस रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाइयों, सर्जरी और पुनर्वास सहित उपचारों से लक्षणों को कम करते हैं।

भारत-वियतनाम रक्षा नीति वार्ता

सुर्खियों में क्यों ?

- 14वीं भारत-वियतनाम रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई।



भारत-वियतनाम संबंध

ऐतिहासिक संबंध

1. भारत से वियतनाम तक बौद्ध धर्म का प्रसार
2. भारत ने 1972 में वियतनाम के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए

राजनीतिक संबंध

1. 2007 में, भारत और वियतनाम ने एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की
2. 2016 में संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

1. 2023 में वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल कोरवेट आईएनएस किरपान उपहार में दिया गया।
2. VINBAX-2023 सैन्य अभ्यास।
3. 2030 तक भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन वक्तव्य"

आर्थिक और व्यापारिक संबंध

1. 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य लगभग 15 बिलियन डॉलर था
2. भारत वियतनाम में ऊर्जा, खनिज अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में निवेश के साथ शीर्ष निवेशकों में से एक है।
3. 2009 में संपन्न आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता भारत और वियतनाम के बीच तरजीही व्यापार व्यवस्था प्रदान करता है

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान

1. वियतनाम में योग बेहद लोकप्रिय है
2. हनोई में स्वामी विवेकानंद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र
3. हो ची मिन्ह सिटी में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव जैसे सम्मेलन और शिखर सम्मेलन

पिंगली वेंकैया

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती (2 अगस्त) पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

पिंगली वेंकैया के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- पिंगली वेंकैया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे एवं गांधीवादी सिद्धांतों के अनुयायी थे
- महात्मा गांधी की भूमिका
 - स्वराज ध्वज कहलाने वाले आरंभिक ध्वज में दो लाल और हरे रंग की पट्टियाँ (हिंदुओं और मुसलमान समुदाय को दर्शाता) और एक चरखा (स्वराज को दर्शाता) था।
 - महात्मा गांधी ने वेंकैया को एक सफेद पट्टी जोड़ने की सलाह दी (शांति को दर्शाने हेतु)।
 - राष्ट्रीय ध्वज के लिए वेंकैया के डिजाइन को अंततः 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस की बैठक में महात्मा गांधी द्वारा अनुमोदित किया गया था।
 - स्वतंत्रता के बाद, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज समिति ने चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को अपनाया।
- वह एक शिक्षाविद् भी थे, जिन्होंने मछलीपट्टनम में एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी।
 - कम्बोडिया कॉटन पर अपने शोध के लिए उन्हें **पैटी वेंकय्या** के नाम से जाना गया।
- 2009 में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया।
- **पुस्तक:** उन्होंने **“भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज”** नामक एक पुस्तक लिखी, जो 1916 में प्रकाशित हुई।



अन्य खबरें

चर्चा का विषय	सुर्खियों में क्यों ?	महत्वपूर्ण जानकारी
रैंसमवेयर	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने संभवतः रैंसमवेयर हमले से प्रभावित बैंकों में भुगतान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।	<ul style="list-style-type: none"> • रैंसमवेयर भी एक तरह का मालवेयर है जो यूजर या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करके उनके कंप्यूटर पर फाइलों के एक्सेस को रोक देता है। ये उन फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिर डिक्रिप्शन की के लिए फिरांती यानी रैंसम की मांग करता है इसलिए इसे रैंसमवेयर नाम दिया गया है। • उदाहरण: वानाक्राई, नॉटपेट्या, आदि।
किंडलिन्स	हाल ही एक अध्ययन ने विभिन्न कैंसरों में सेल सिग्नलिंग में शामिल एडेप्टर प्रोटीन किंडलिन्स की भूमिका का पता लगाया।	<ul style="list-style-type: none"> • किंडलिन्स वह एडाप्टर प्रोटीन है जो कि कशेरुकियों में लगभग सभी तरह की कोशिकाओं की कोशिका झिल्लियों से जुड़ी कोशिकाओं के भीतर मौजूद होते हैं। • वह कोशिकाओं के भीतर जैवरासायनिक संकेतों के लिये कोशिकी यांत्रिक संकेतों को स्थानांतरित करते हैं और संरचनात्मक प्रोटीन, रिसेप्टर्स और ट्रांसक्रिप्शन कारकों के साथ प्राकृतिक रूप से अंतःक्रिया करके कोशिकी संकेतों को संप्रेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कोशिका के भीतर रासायनिक संकेतों का

		<p>प्रपात शुरू हो जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none">• निकोटीन, पराबैंगनी किरणों और कई अन्य जैसे असंख्य रासायनिक और भौतिक कार्सिनोजेन्स के प्रभाव में किंडलिन्स में स्थायी बदलाव आ सकता है। इस प्रकार का बदलाव किंडलिन्स कोशिकाओं के भीतर सार्वत्रिक यांत्रिक होमियोस्टेसिस को संभावित रूप से बाधित कर सकता है। इसलिये किंडलिन्स में आनुवंशिक बदलावों के परिणामों को समझना कैंसर कोशिकाओं में वृद्धि के जटिल तंत्र को उजागर करने की कुंजी साबित हो सकती है।
--	--	---

